

फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 13.11.2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अक्टूबर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ अक्टूबर, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034899

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अक्टूबर, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर संसद के दोनों सदनों और दूसरी ओर सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री ने मंगलवार, 5 अक्टूबर, 2021 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शीतकालीन सत्र, 2021 के लिए सरकारी कार्य को अंतिम रूप देने के लिए आभासी माध्यम से एक बैठक की थी।

2. संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से सितंबर, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96982 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 57067 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1727 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 822 आश्वासन लंबित हैं।

अक्टूबर, 2021 मास के दौरान, 22 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 5 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

3. लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

अक्टूबर, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 अक्टूबर को लंबित मामले	232	183
अक्टूबर के दौरान प्राप्त उत्तर	137	25
शेष मामले	95	158

4. परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

अक्टूबर, 2021 के दौरान परामर्शदात्री समितियों की पांच बैठकें आयोजित की गईं।

उपरोक्त से संबंधित विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

5. डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्टूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभागों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुनःप्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

अक्टूबर, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 1789 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गईं।

6. युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना

अक्टूबर, 2021 मास के दौरान (क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 356 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 48 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

7. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

सितंबर, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 18 राज्यों (20 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा,

उत्तर प्रदेश (दोनों सदन), झारखंड और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 13 राज्यों (14 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश (विधान परिषद) और हरियाणा शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

अक्टूबर, 2021 मास के दौरान -

- (i) आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, ओडिशा विधानसभा के लिए 26-27 अक्टूबर, 2021 के दौरान नेवा पर आभासी माध्यम से दो दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया।
- (ii) झारखंड राज्य में नेवा के कार्यान्वयन हेतु झारखंड विधानसभा, झारखंड राज्य की सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1782 ट्विटर के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल <https://twitter.com/mpa.india> के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 6471 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 39114 हो गई है।

अक्टूबर, 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	गुरुवार और शुक्रवार, 21-22 अक्टूबर, 2021	रक्षा	रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस)	होटल ताज, वेस्ट एंड, बंगलूरू
2	मंगलवार, 26 अक्टूबर, 2021	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	सफुर्ती योजना	समिति कक्ष 'बी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	बुधवार, 27 अक्टूबर, 2021	कोयला और खान	झरिया मैटर प्लान	समिति कक्ष 53 संसदीय भवन, नई दिल्ली
4	गुरुवार, 28 अक्टूबर, 2021	गृह	तटीय सुरक्षा	मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली
5	शुक्रवार, 29 अक्टूबर, 2021	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	इंटीग्रेटिड कोल्ड चेन और वेल्यू एडिसन इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम	समिति कक्ष 'सी' संसदीय सौध, नई दिल्ली